

डिक्री व मुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 374/2025

जगीर सिंह पुत्र श्री राजू सिंह जाति बावरी निवासी मल्लडखेडा तह.टिखी जिला हनुमानगढ़
---वादी

वनाम

सीतो बाई पुत्री वीरा देवी पत्नी गुरदयाल जाति बावरी नि.वार्ड नं0 13 डबलीराठान तहसील व
जिला हनुमानगढ़
---प्रतिवादी



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनामिनाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री राकुमार कस्वों वकील वादी मिन जामिन मुदई
श्री मदन मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया
जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 13 एमकेएस के खाता संख्या 154/113
जमाबन्दी सम्बत. 2070-2073 मे मृतक वीरा देवी पुत्री हरिसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि
का वादी जगीर सिंह पुत्र राजूसिंह को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर मृतक
वीरादेवी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत
यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन
किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद
किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

वसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.7.2025 को जारी
किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया